

**राजस्थान सरकार**  
**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग**

आई.टी. भवन, तिलक मार्ग, जयपुर  
पंजीक पा०(४६)सूची/फ्रैजे /०८/२५१२

जयपुर, दिनांक २२-७-११

**परिपत्र**

**विषय :-** राजकीय कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा के उपयोग बाबत।

राज्य सरकार द्वारा शासन सचिवालय एवं अन्य राजकीय कार्यालयों में आकड़ों एवं सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं शीघ्र संप्रेषण हेतु इंटरनेट की सुविधा सेवाने के तहत उपलब्ध करायी गयी है।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय कार्यालयों में कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त सुविधा का उपयोग राजकीय कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त गैर सरकारी कार्यों जैसे Downloading and viewing of audio and video, online games, social networking sites, viewing of live matches/news channels एवं अन्य अवाञ्छित साईटों को देखने हेतु भी किया जाता है जिससे उपलब्ध इंटरनेट अवरुद्ध होकर राजकीय कार्यों में वाधा उत्पन्न हो जाती है।

उक्त Audio and video download/upload एवं अवाञ्छित साईटों एवं गैर सरकारी कार्यों से सम्बन्धित इंटरनेट वैब साईटों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है तदापि इस प्रकार की अन्य साइटें फिर भी उपयोग कर्ताओं को उपलब्ध हो जाती/रहती हैं।

राजकीय कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा का उपयोग अवाञ्छित साईटों को देखने एवं गैर सरकारी कार्यों हेतु किया जाना, राजकीय कार्य में व्यवधान एवं राजकीय संसाधनों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है तथा गैर कानूनी भी है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से सभी राजकीय कर्मचारीयों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि उनको उपलब्ध कराई जा रही इंटरनेट सुविधा का उपयोग राजकीय कार्यों हेतु सुनिश्चित किया जाना सम्बन्धित राजकीय कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी है तथा यदि उनको उपलब्ध कराई गयी सुविधा का उपयोग अनावश्यक Audio/video downloading, viewing एवं अवाञ्छित साईटों को देखने एवं गैर सरकारी कार्यों हेतु करना पाया गया तो विभाग द्वारा सेवाने के माध्यम से प्रदान की गई इंटरनेट की सुविधा को तुरंत रोक दिया जावेगा।

२५-२५७

सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- निजी सचिव माननीय मुख्य सचिव महोदय/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- समस्त विभागाध्यक्ष,
- प्रभारी अधिकारी, वैब साईट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को वैब सोइट पर अपलोड करने बाबत।
- रक्षित पत्रावली
- सम्बन्धित

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: एफ(30) मुवसं/सुप्रौ/2013-14/6199-6933 दिनांक 17/12/13

प्रतिलिपि समर्त मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अरिन्दम तोमर)  
मुख्य वन संरक्षक,  
सूचना प्रौद्योगिकी,  
जयपुर।